

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
आदेश

आ0संख्या-9/नि0-01-03/2014, सा0प्र0...10957.../पटना-15, दिनांक 25-8-17

बिहार उत्कृष्ट खिलाड़ियों की नियुक्ति नियमावली, 2014 के नियम-4(vi) के अधीन गठित चयन समिति की दिनांक-18.08.2017 को आयोजित बैठक में विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से पूर्व लगातार तीन बार आयोजित ओलंपिक गेम्स अथवा कॉमनवेल्थ गेम्स अथवा एशियन गेम्स में शामिल खेल विधाओं के भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन से संबद्ध राष्ट्रीय खेल संघों द्वारा आयोजित की जाने वाली नेशनल सीनियर चैम्पियनशिप एवं नेशनल जूनियर चैम्पियनशिप के खेल विधाओं को वर्तमान नियुक्ति में मान्यता देने का निर्णय लिया गया। उक्त निर्णय के आलोक में विभाग में प्राप्त खिलाड़ियों के आवेदनों की जांच किये जाने हेतु निम्न प्रकार से एक उप-समिति का गठन किया जाता है:-

1. श्री नीरज कुमार, प्रशाखा पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।
2. श्री ओम प्रकाश, प्रशाखा पदाधिकारी, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।
3. श्री चितरंजन शर्मा, प्रशाखा पदाधिकारी, पर्यावरण विभाग, बिहार, पटना।

2. उक्त उप-समिति बिहार उत्कृष्ट खिलाड़ी नियुक्ति नियमावली, 2014 की अनुसूची-1 के क्रमांक-5 (ए-5) एवं क्रमांक-7 (ए-7) में उल्लिखित क्रमशः नेशनल सीनियर/जूनियर चैम्पियनशिप के अंतर्गत चयन समिति के उक्त निर्णय के आलोक में अपना प्रतिवेदन तैयार कर एक माह के अंदर प्रधान सचिव-सह-अध्यक्ष, चयन समिति, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को समर्पित करेगी।

3. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।



(सिद्धेश्वर चौधरी)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-9/नि0-01-03/2014, सा0प्र0...10957.../पटना, 15, दिनांक-25-8-17


प्रतिलिपि- प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/पर्यावरण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. अनुरोध है कि संबंधित पदाधिकारी को यथाशीघ्र प्रतिनियुक्ति की तिथि से माह तक के लिए प्रत्येक दिन 03:00 बजे अपराह्न से सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना में प्रतिनियुक्त करने की कृपा की जाय।


सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-9/नि0-01-03/2014, सा0प्र0...10957.../पटना, 15, दिनांक-25-8-17

प्रतिलिपि- सभी संबंधित पदाधिकारी/प्रधान सचिव के आप्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


सरकार के अवर सचिव।